न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 123/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/402 वाद पत्र

उनवान

1. गीता पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरू लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल सुखामण, रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीदेवी पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि देवी लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल बागोर, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. कंचनदेवी पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरू लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोदावरी बेवा मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विमला पुत्री मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रेखा पुत्री मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील बापना– वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–5/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किः–

1. ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर की सरहद में वादीगण कि पिता नाथु पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण के नाम पर निम्न साबिक आराजियात स्थित थी :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा	वि.वि.
1	290	5 बिस्वा	
2	495	14 बिस्वा	
3	810	9 बिस्वा	
4	454	11 बिस्वा	
5	455	10 बिस्वा	
6	803	8 बिस्वा	
कुल किता कुल रकबा	**6**	**2 बीघा 17 बिस्वा**	

भूमि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 में दर्ज रेकार्ड थी।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

2. इसी प्रकार ग्राम आसपुर की सरहद में निम्न साबिक आराजियात स्थित थी :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा	वि.वि.
1	247	9 बिस्वा	
2	248	2 बिस्वा	
3	249	1 बीघा 4 बिस्वा	
4	266/1	1 बीघा 9 बिस्वा	
5	266/2	1 बीघा 2 बिस्वा	
6	267	12 बिस्वा	
कुल किता कुल रकबा	**6**	**4 बीघा 18 बिस्वा**	

भूमि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 में दर्ज रेकार्ड थी।

3. ग्राम पनोतिया की साबिक आराजी के हाल आराजी नम्बर कायम किए गए जो निम्न है :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	1105	0.12	
2	1106	0.11	
3	1149	0.15	
4	1501	0.09	
5	1510	0.10	
6	1637	0.56	
कुल किता कुल रकबा	**6**	**1.13**	

4. ग्राम आसपुर की साबिक आराजी के हाल आराजी नम्बर कायम किए गए जो निम्न है:–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	727	0.10	
2	728	0.02	
3	729	0.26	
4	753	0.55	
5	758	0.13	
कुल किता कुल रकबा	**5**	**1.06**	

5. वादीगण नाथुलाल जी जायन्दा पुत्रीयां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीसान है जिनका नाथुलाल की वादपत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजियात में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तीनों वादियागणो का 3/4 हिस्सा जन्म से ही है लेकिन वादियागण के पिता नाथुलाल का वर्ष 2001 में स्वर्गवास हो गया तथा वादियागण के भाई मांगीलाल का भी वर्ष 2003 में स्वर्गवास हो गया तब नाथुलाल के विधिक वारीसान की जांच किए बिना नामान्तकरण संख्या 71, 76 दिनांक 20.12.2004 व ग्राम आसपुर में स्थित कृषि आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 23.05.2005 को गलत रूप से मांगीलाल के वारीसान लक्ष्मण व गोदावरी के नाम खोल दिया जो वादियागण पर बन्धनकारी नही होकर प्रारम्भ से अवैध होकर शुन्य है। वादियागण नाथुलाल की जायन्दा पुत्रीयां होकर उनका जन्म से ही वादवर्णित आराजियात में हक हिस्सा है।

6. अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजियात मे वादीगण का 3/4 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिकी सादिर फरमाई जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वो वादवर्णित

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जयपुर

आराजियात से वादीगण को बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जेकाश्त मे दखलदांजी नही करें, विक्रय हस्तान्तरण, रहन, बय, बक्षीस नही करे व वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादवर्णित आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पंजीयन नही करें। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 कानून को हाथ में लेकर वादवर्णित आराजियात से वादीगण को बेदखल कर देवे तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा के जरिए पुनः वादीगण के कब्जे कराई जावे, तथाकथित हस्तान्तरण निरस्त घोषित फरमाया जावे।

7. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 13.07.2023 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 औपचारिक पक्षकार है।
8. साक्ष्य वादी में वादीया पीडब्ल्यू–1 भगवती पुत्री नाथुलाल शर्मा भगवती पत्नि देवीलाल शर्मा निवासी बागोर तहसील माण्डल, पीडब्ल्यू–2 गीता पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरूलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल निवास सुखामण, रतनपुरा तहसील आसीन्द, पीडब्ल्यू–3 स्वतंत्र गवाह कन्हैयालाल पिता सोहनलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल निवास उज्जैन द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए।
9. पीडब्ल्यू–1 भगवती पुत्री नाथुलाल शर्मा भगवती पत्नि देवीलाल शर्मा निवासी बागोर तहसील माण्डल, पीडब्ल्यू–2 गीता पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरूलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल निवास सुखामण, रतनपुरा तहसील आसीन्द, ने शपथ पत्र की कलम संख्या 1 में सजरा बताते हुए अंकन किया कि वादवर्णित आराजियात वादिया के पिता नाथुलाल के नाम दर्ज रेकार्ड थी। सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम पनोतिया के साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए एवं ग्राम आसुपर के साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए। उक्त नवीन आराजियात में वादियागण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा यानि तीनो वादियागण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा जन्म से ही निहित है। वादियागण के पिता नाथुलाल का वर्ष 2001 में स्वर्गवास हो गया तथा वादियागण के भाई का स्वर्गवास वर्ष 2003 में हो गया। नाथुलाल के विधिक वारीसान की जांच किए बिना की ग्राम पनोतिया में स्थित आराजियात का नामान्तरण 71, 76 दिनांक 20.12.2004 व ग्राम आसुपर में स्थित कृषि आराजियात का नामान्तरण संख्या 49 दिनांक 23.05.2005 को गलत रूप से अकेले मांगीलाल के वारीसान लक्ष्मण व गोदावरी के नाम पर खोल दिए गए जो वादियागण पर बन्धकारी नही होकर प्रारम्भतः शुन्य है। वादियागण नाथुलाल की जायन्दा पुत्रीया होकर उनका जन्म से ही 3/4 हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार वादियागण काबिज है। वादियागण को वादवर्णित आराजियात पर से बेदखल कर देंगे इसलिए वादियागण को वादपत्र प्रस्तुत करने की नोबत आई है। अतः वादपत्र वादीगण डिकी फरमाया जावे एवं वादवर्णित आराजियात में वादीगण 3/4 हिस्सा दर्ज कराया जावे।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) गंगापुर

10. साक्ष्य वादी में कन्हैयालाल पिता सोहनलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल निवास उज्जैन द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकन किया कि ग्राम पनोतिया में नाथुलाल पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण को जानता हुँ जिनके तीन पुत्रीयां क्रमशः गीता, भगवती, कंचन है। नाथुलालजी का स्वर्गवास हो चुका है कि ग्राम पनोतिया व आसपुर स्थित कृषि आराजियात में नाथुलाल की पुत्रीयों गीता, भगवती, कंचन का 3/4 हिस्सा बनता है। जो उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना है।

11. वादपत्र के समर्थन में भगवती पत्नि देवीलाल शर्मा निवासी बागोर तहसील माण्डल द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :–

क्र.स.	विवरण	प्रदर्श
1	जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम आसपुर खाता संख्या 171	प्रदर्श–1
2	जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम पनोतिया खाता संख्या 371	प्रदर्श–2
3	जमाबन्दी संवत 2038 से 2042 ग्राम पनोतिया खाता संख्या 114	प्रदर्श–3
4	जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 ग्राम आसपुर खाता संख्या 58	प्रदर्श–4
5	नामान्तरण संख्या 71 ग्राम पनोतिया	प्रदर्श–5
6	नामान्तरण संख्या 76 ग्राम पनोतिया	प्रदर्श–6
7	नामान्तरण संख्या 49 ग्राम आसपुर	प्रदर्श–7
8	मिलान खसरा ग्राम पनोतिया	प्रदर्श–8
9	मिलान खसरा ग्राम आसपुर	प्रदर्श–9

12. वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वादियागण के परिवार का सजरा उल्लेखित किया गया है। पत्रावली में संवत 2039 से 2042 की तथा 2051 से 2054 की जमाबन्दी पेश की गई है। वादग्रस्त आराजियात नामान्तरण संख्या 71 दिनांक 20.12.2004 तथा नामान्तरण संख्या 49 दिनांक 23.05.2005 को वादियागण के पिता नाथुलाल से वादियागण के भाई मांगीलाल के नाम दर्ज रेकार्ड की गई। नामान्तरण में जो सजरा बताया गया उसमें बेटियो के नाम अंकित नही किए गए। जबकि तीनो पुत्रियां नाथुलाल की प्रथम श्रेणी की वारीस है। वादग्रस्त आराजियात मे वादियागण का 3/4 हिस्से से खातेदार काश्तकार है उसी अनुसार वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। बहक वादियागण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वो वादवर्णित आराजियात से वादीगण को बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जेकाश्त मे दखलदांजी नही करें, विक्रय हस्तान्तरण, रहन, बय, बक्षीस नही करे व वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, गलत इन्द्राज को सुधारा जाकर वादपत्र को स्वीकार फरमाया जाए।

13. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रेकार्ड का प्रदर्श करवाया गया है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जहाजपुर

प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम आसपुर खाता संख्या 171 की है जो गोदावरी पत्नि मांगीलाल 1/2 ब्राहम्ण सा.पनोतिया खातेदार एवं लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण सा. पनोतिया खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 ग्राम पनोतिया खाता संख्या 371 की है जो गोदावरी पत्नि मांगीलाल 1/2 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार एवं लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2038 से 2042 ग्राम पनोतिया खाता संख्या 114 की है जो नाथु पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2051 से 2054 ग्राम आसपुर खाता संख्या 58 की है जो नाथु पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण सा. पनोतिया खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 49 ग्राम आसपुर का है जो लछमण पिता मांगीलाल ना. बा.बे.वि. माता गोदावरी बेवा मांगीलाल सोसी बेवा नाथु ब्राहम्ण से लछमण पिता मांगीलाल ना.बा.बे.वि. माता गोदावरी बेवा मांगीलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

प्रदर्श–6 नामान्तरण संख्या 76 ग्राम पनोतिया का है जो लछमण पिता मांगीलाल ना.बा.बे.वि. माता गोदावरी बेवा मांगीलाल सोसी बेवा नाथु ब्राहम्ण से लछमण पिता मांगीलाल ना.बा.बे.वि. माता गोदावरी बेवा मांगीलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

प्रदर्श–7 नामान्तरण संख्या 71 ग्राम पनोतिया का है जो नाथु पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण सा. पनोतिया से लक्ष्मण पिता मांगीलाल ना.बा.बे.वि. माता गोदावरी, गोदावरी बेवा मांगीलाल ब्राहम्ण सा. पनोतिया के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

प्रदर्श–8 मिलान खसरा ग्राम पनोतिया व प्रदर्श–9 मिलान खसरा ग्राम आसपुर का है।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को सम्यक् तामील होने के बावजुद उपस्थित नही हुए है जिससे उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वादियागण द्वारा वादग्रस्त आराजियात से सम्बधित राजस्व रेकार्ड को प्रदर्श कराया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजियात वादियागण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड कृषि आरायिजात थी जिससे उक्त आरायिजात पुश्तेनी व पैतृक है। पुश्तेनी आराजियात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से हक अधिकार निहित होता है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो, गवाहो के शपथ पत्र एवं बयान तथा दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि वादियागण नाथुलाल पिता जगन्नाथ शर्मा की पुत्रीयां होकर उसकी प्रथम श्रेणी की वारीसान है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (संशोधन अधिनियम 2005) की धारा 6 : सहदायिक सम्पति में हित का हस्तान्तरण :–

1. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 के लागु होने की तिथि से मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिन्दु परिवार में सहदायिक की पुत्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

(क) जन्म से ही वह पुत्र के समान ही सहदायिक बन जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

(ख) सहदायिक सम्पति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे पुत्र होने पर प्राप्त होते है।

(ग) उक्त सहदायिक सम्पति के सम्बन्ध में उस पर वही दायित्व लागु होंगे जो पुत्र पर लागु होते है।

अतः यह स्पष्ट है कि काननून रूप से वादियागण अपनी पैतृक कृषि आराजियात में जन्म से ही अपने भाई के समान हक हिस्सा रखती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादियागण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया के आराजी नम्बर जो निम्न है :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	1105	0.12	
2	1106	0.11	
3	1149	0.15	
4	1501	0.09	
5	1510	0.10	
6	1637	0.56	
कुल किता कुल रकबा	**6**	**1.13**	

इसी प्रकार ग्राम आसपुर के आराजी नम्बर निम्न है:–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	727	0.10	
2	728	0.02	
3	729	0.26	
4	753	0.55	
5	758	0.13	
कुल किता कुल रकबा	**5**	**1.06**	

उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादियागण को प्रत्येक का 1/4–1/4, संयुक्त रूप से 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही बहक वादियागण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि वादवर्णित आराजियात से वादीगण को बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जेकाश्त मे दखलदांजी नही करें, विक्रय हस्तान्तरण, रहन, बय, बक्षीस नही करे व वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 123/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/402 वाद पत्र

उनवान

1. गीता पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरू लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल सुखामण, रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. भगवतीदेवी पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि देवी लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल बागोर, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. कंचनदेवी पुत्री नाथुलाल शर्मा पत्नि लेहरू लाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल बावलास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोदावरी बेवा मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. विमला पुत्री मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रेखा पुत्री मांगी लाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दिनांक 5/2/2026

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया के आराजी नम्बर जो निम्न है :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	1105	0.12	
2	1106	0.11	
3	1149	0.15	
4	1501	0.09	
5	1510	0.10	
6	1637	0.56	
कुल किता कुल रकबा	**6**	**1.13**	

इसी प्रकार ग्राम आसपुर के आराजी नम्बर निम्न है:–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0	वि.वि.
1	727	0.10	
2	728	0.02	
3	729	0.26	

सहायक कलक्टर

4	753	0.55	
5	758	0.13	
कुल किता कुल रकबा	5	1.06	

उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादियागण को प्रत्येक का 1/4–1/4, संयुक्त रूप से 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही बहक वादियागण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की पारित की जाती है कि वादवर्णित आराजियात से वादीगण को बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जेकाश्त मे दखलदांजी नही करें, विकय हस्तान्तरण, रहन, बय, बक्षीस नही करे व वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

वाद में डिकी आज दिनांक को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

5/2/2026

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा